Tel. No. Office: 0612-2452585
Fax No.: 0612-2452586
Email-Id-: bipardpatna@yahoo.in

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना - ८०१५०५

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development
WALMI Campus, Phulwari Sharif, Patna - 801505

पत्रांक– बिपार्ड / क्रय–14 / 2015 पटना, दिनांकः–

स्टाफ कार / वाहन की नीलामी

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), बिहार, पटना के चालू हालत में 01 (एक) स्टाफ कार / वाहन की 'जहाँ है, जैसी हैं' हालत में खुले डाक द्वारा नीलामी, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) की नीलामी समिति की देखरेख में दिनांक 14.5.18 के 2.00 बजे अपराह्न में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के परिसर में की जायेगी। प्रस्तावित नीलामी हेतु स्टाफ कार / वाहन का निरीक्षण आवश्यकतानुसार क्रेता द्वारा बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में सहायक निदेशक (भू–सम्पदा), बिपार्ड, बिहार, पटना (मोबाईल न0 9431259882) से सम्पर्क कर दिनांक 08.05.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रम. सं0	स्टाफ कार / वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का क्रय वर्ष	वाहन जहाँ रखा हैं।
01	02	03	04	05
1	BR 1AD-2340	एम्बेसडर	सन् 2006	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), वाल्मी कैम्पस, फुलवारी शरीफ, बिहार, पटना।

नीलामी की शर्तें

(क) उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रति वाहन ₹10,000 / – (दस हजार रुपये) मात्र की प्रतिभूति (Security) राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट (जो Director General, BIPARD के नाम से होना चाहिए) दिनांक 08.05.2018 के 11.30 बजे पूर्वाह्न तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), बिहार, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।

(ख) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने फोटो युक्त परिचय–पत्र की छाया प्रति भी समर्पित करनी होगी। परिचय पत्र के रूप में पैन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि हो सकते हैं।

(ग) नीलामी में भाग लेते समय भाग लेने वाले व्यक्ति का परिचय–पत्र तथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि के सत्यापन के उपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) नीलामी में भाग लेने वाले वैसे व्यक्ति, जिन के द्वारा नीलामी के उपरान्त अंतिम रूप से वाहन का क्रय नहीं किया जाना है, की प्रतिभूति की राशि, नीलामी के निस्तार के उपरान्त वापस कर दी जाएगी। नीलामी में अंतिम रूप से सफल क्रेता, जिन्हें वाहन दिया जाना होगा, की प्रतिभूति राशि अंतिम निष्पादन तक बिपार्ड में रखी जायेगी।

(ङ) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को सक्षम प्राधिकार द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् पंद्रह दिनों के अन्दर सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर वाहन ले जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। पंद्रह दिनों के अन्दर पूर्ण राशि जमा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वतः जब्त हो जाएगी।

(च) डाक की रकम पर वाणिज्य कर विभाग को भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर (VAT) भी अलग से देय होगा।

(छ) महानिदेशक, बिपार्ड को बिना कारण बताए नीलामी को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(ज) सफ़ल बोलीकर्त्ता को नीलामी के पश्चात् फार्म–23 (Form of Certificates of Registration) की छायाप्रति एवं चाभी उपलब्ध करायी जाएगी। सफल बोलीकर्त्ता नीलामी में प्राप्त किये गये वाहन का मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात् ही उपयोग करेंगे।

सहायक निदेशक
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण
विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना।

ज्ञापांकः– 392 /पटना, दिनांकः 11.4.2018

प्रतिलिपिः सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार को विभागीय Website पर प्रकाशनार्थ/प्रखण्ड कार्यालय, दानापुर/फुलवारी शरीफ/पटना सदर/निबंधन कार्यालय, पटना सदर/दानापुर/फुलवारी शरीफ/नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत, पटना/दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ/पटना समाहरणाल/अनुमण्डल कार्यालय, पटना सदर/दानापुर, पटना को कार्यालय सूचना पटट् पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण
विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना।